

पाकिस्तान की अदालत ने इमरान के भाषण के सीधे प्रसारण पर लगी रोक हटाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर लगाई गई रोक हटा दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने इमरान द्वारा 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान सरकारी संस्थाओं को धमकाने और भड़काऊ भाषण देने के बाद सैटेलाइट टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का सीधा प्रसारण करने पर पाबंदी लगा दी थी। 'द डॉन' अखबार के मुताबिक, 69 वर्षीय इमरान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि नियामक ने 'अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।' उन्होंने पीईएमआरए को एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया, जो अदालत में इस प्रतिबंध को जायज ठहरा सके। मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। रैली में दिए संबोधन में इमरान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ किए गए व्यवहार को लेकर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों, पाकिस्तान चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान तहरीक ए इस्लाम पार्टी (पीटीआई) के प्रमुख इमरान ने गिल को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग स्वीकारने वाली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को भी धमकी दी थी और उनके खिलाफ आपत्तिजनक का इस्तेमाल भी किया था। भाषण के कुछ घंटों बाद पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थाओं को धमकाने के आरोप में इमरान के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बांग्लादेश ने मोर्टार दागे जाने के मामले में म्यांमा के राजदूत को तलब किया

ढाका। बांग्लादेश ने रविवार को उसके क्षेत्र में दो मोर्टार दागे जाने की घटना पर विरोध जताने के लिए म्यांमा के राजदूत आंग वर्यो मोए को तलब किया। विदेश कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि रविवार दोपहर में घूमघूम सीमा पर दो मोर्टार गिरने के कुछ घंटे बाद राजदूत को तलब किया गया था। बॉर्डर गाई बांग्लादेश (बीजीबी) ने कहा कि मोर्टार फट्टे नहीं और उन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। विदेश सचिव मसूद बिन मोमीन ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने तत्काल उन्हें (राजदूत को) बुलाया और अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन्हें एक राजनयिक पत्र सौंपा।" उन्होंने कहा, "हमने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस तरह की घटना फिर नहीं हो।" विदेश मंत्रालय और बीजीबी के अधिकारियों ने कहा कि म्यांमा सुरक्षा बलों के हेलीकॉप्टरों ने भी हाल में कम से कम दो बार बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र में घुसपेठ की थी। आंग को 21 अगस्त के बाद दूसरी बार रविवार शाम को तलब किया गया था। अधिकारियों के अनुसार आंग को सख्ती से यह बात कही गयी थी कि म्यांमा की ये कार्रवाइयाँ एक मित्रवत पड़ोसी का काम नहीं हैं। उधर हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने म्यांमा में सैन्य अभियान के कारण वहां से निकलने के पांच साल होने के मौके पर कॉक्स बाजार में अपने अस्थायी शिविरों में पिछले सप्ताह 'नरसंहार स्मृति दिवस' मनाया था। बांग्लादेश ने अगस्त 2017 से 10 लाख से अधिक रोहिंग्याओं को शरण दी है।

नेपाल में संघर्ष पीड़ितों और कार्यकर्ताओं ने खामियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा

काठमांडू। नेपाल सरकार द्वारा संसद में पेश 'संक्रमणकालीन न्याय संशोधन विधेयक' में "कई खामियों" का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतेर्रेस को संबोधित एक पत्र सोमवार को संघर्ष पीड़ितों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय संयोजक रिचर्ड हॉवर्ड को सौंपा गया। 'संक्रमणकालीन न्याय संशोधन विधेयक' पिछले महीने प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया था। पत्र में कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि जिस विधेयक को सरकार संसद के माध्यम से त्वरित आधार पर आगे बढ़ाना चाहती है, वह गुनहगारों के अनुकूल है। यह न्याय के लिए नेपाल के संघर्ष (1996-2006) के पीड़ितों की वैध मांगों को दबाने का प्रयास करता है, और भविष्य में इस तरह के हिंसक संघर्षों की पुनरावृत्ति की संभावना को भी बढ़ाएगा।" पत्र में कहा गया है कि "संक्रमणकालीन न्याय विधेयक" नेपाल के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करता है और न्याय पर अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।" अखबार 'काठमांडू पोस्ट' की एक खबर के अनुसार विधेयक कहता है कि उग्रवाद के दौरान "क्रूर हत्या" या यातना के बाद हत्या, बलात्कार, जबरन गायब करना और निहत्थे या आम लोगों के खिलाफ की गई बर्बरता मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और माफी योग्य नहीं है। हालांकि, यह विधेयक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के तहत युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों को सूचीबद्ध नहीं करता है। विधेयक में पूर्व नाबालिग लड़कों की चिंताओं को दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से विश्व में फैल रही गंभीर बीमारियां : अध्ययन

लंदन। पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी के चलते जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव इंसानों पर गंभीर बीमारी बनकर कहर बरपा रहे हैं। हर उम्र के लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। सदी, जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनियाभर में इन बीमारियों की वजह से हर साल करोड़ों लोग जान गंवा रहे हैं। विश्व का कोई भी कोना हो, हर तरफ बीमारियों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल साइंस की तमाम कोशिशों के बावजूद बीमारियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक ताजा अध्ययन में बीमारियां फैलने की सबसे बड़ी वजह का खुलासा हुआ है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, ताजा अध्ययन में खुलासा हुआ है कि बढ़ती बीमारियों की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है। स्टडी में पता चला है कि दुनियाभर में इंसानों को प्रभावित करने वाली 375 संक्रामक बीमारियों में से 58 फीसदी डिजीज का प्रकोप क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ गया है। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु संबंधी खतरों को बढ़ा रहा है, जिसके कारण इंसान मौत के मुंह में जा रहे हैं। बेक्टिरिया और वायरस फैलने के लिए क्लाइमेट में बदलाव काफी हद तक जिम्मेदार हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो परिस्थितियां ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। शोधकर्ताओं ने इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और सार्स जैसे रोगों को प्रभावित करने वाले जलवायु खतरों की तलाश में 77000 से ज्यादा स्टडीज की जांच की। इनमें पता चला कि ज्यादा गर्मी, सूखा, जंगल की आग, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, तूफान। समुद्र के लेवल में वृद्धि, महासागरीय जलवायु परिवर्तन और भूमिगत बदलाव बीमारियों की प्रमुख वजह बनकर सामने आए हैं। इन कारणों की वजह से मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, सार्स, अस्थमा, स्कैन एलर्जी जैसे रोग गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन रहे हैं। स्टडी के निष्कर्ष में पता चला कि जलवायु परिवर्तनों की वजह से 277 रोग बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर शोधकर्ताओं ने पाया कि सभी संक्रामक रोगों में से 58 फीसदी न दुनिया भर में इंसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

महिला को नीलामी में खरीदें घर में गुप्त तिजोरी में मिले दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े दस्तावेज, बुलाई पुलिस

लॉस एंजेलिस। अमेरिका में एक महिला ने एक आवास को नीलामी में खरीदा और उसके रिनोवेशन के दौरान उस एक गुप्त तिजोरी मिली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 28 साल की टिफनी मा कैलिफ़ोर्निया के लॉस एंजेलिस में रहती हैं। उन्होंने अपने पार्टनर मेट के साथ मिलकर एक घर खरीदा और उसे रेनोवेट करने के बारे में सोचा। उन्होंने घर को नीलामी में खरीदा था और बिना देखे ही उसे ले लिया था। जब वो घर पहुंचीं तो उन्होंने पाया कि पुराने मालिक से जुड़ी कई चीजें पहले से ही उस घर में मौजूद हैं। पुराना टीवी सेट, सोफा, अन्य फर्नीचर उस घर में देखने को मिल रहे थे मगर अचानक टिफनी की नजर एक खुफिया तिजोरी पर गई जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। महिला ने तुरंत उसे काटने के लिए लोगों को बुलाया और जब अंदर के सामान को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसमें ऐसी-ऐसी चीजें थीं जिसे देखकर लग रहा था कि वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए रखी गई हैं। उस तिजोरी में किसी शख्स की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीरें थीं, इंगेजमेंट रिंग थी, इश्योरेंस के कागज थे और दूसरे विश्व से जुड़ा एक चाकू था जिसमें नाजियों का निशान बना था। अपने इस पूरे अनुभव को टिफनी ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक पर उनका एक वीडियो इन्हीं सामानों को एक्सलोर करते हुए वायरल हो रहा है। टिफनी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने ये तमाम चीजें देखीं तो वो समझ गई कि जरूर ये सब किसी को ब्लैकमेल करने के लिए रखे गए होंगे इसलिए फौरन उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया।

श्रीमती रेखा देवी

ग्राम पंचायत खोह- जागरू

अमरसिंह बैरवा

सरपंच पति

राजेन्द्री चौधरी

सरपंच ग्राम पंचायत बसेठ

विशम्भर चौधरी

सरपंच पति

